

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./आ.बिजली/स्वीकृति/2022-23/ 2669-78

दिनांक: 13 /10/2022

-: स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय धरियावद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आकाशी बिजली गिरने से पशुक्षति पर पीड़ित को आर्थिक सहायता हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धरियावद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधानानुरूप पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रतापगढ़ की अनुशंषा अनुसार पीड़ित को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आकाशी बिजली गिरने से पशुक्षति होने से SDRF नॉर्म्स अनुसार 85,000/- रुपये की आर्थिक सहायता एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री ऊकांर पिता रूपजी मीणा निवासी मोरजी खेड़ा ग्रा.प. गोठड़ा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 10.09.22 को आकाशी बिजली गिरने से पशुक्षति दो गाय एक बैल की मृत्यु होने पर।	85,000/-रु.
कुल योग			85,000/-रु.

(अक्षरे पीच्चासी हजार मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण रिवोल्विंग मद में आवंटित राशि से निम्न लेखा मद से किया जायेगा: 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा, 800- अन्य व्यय, (03)- राहत कार्यों पर व्यय (02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

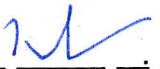
जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: 13 /10/2022

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./आ.बिजली/स्वीकृति/2022-23/ 2669-78

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, धरियावद को भेज लेख है कि उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करावे।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- संबंधित श्री ऊकांर पिता रूपजी मीणा निवासी मोरजी खेड़ा ग्रा.प. गोठड़ा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।


अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़